



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर 302001।

दूरभाष:-0141-2374674

ईमेल: rsrtc.secivil@gmail.com

क्रमांक: एफ./मु/निर्माण/2025/657

दिनांक:- 20.6.25

परिपत्र

यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निगम के बस स्टेण्ड पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं रखरखाव सुनिश्चित करवाये जाने के क्रम में "मेरा बस स्टेण्ड मेरी जिम्मेदारी" लागू किये जाने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. निगम में बस स्टेण्डों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर अ, ब व स श्रेणी में किया गया है, जिसका विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में उल्लेखित है।
2. श्रेणीवार बस स्टेण्डों पर उपलब्ध होने वाली मानक सुविधाओं का विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" में उल्लेखित है। विवरण पत्र में निर्धारित सुविधाओं का आगार के अधीन श्रेणीवार बस स्टेण्डों पर उपलब्ध होना संबंधित मुख्य प्रबन्धक को सुनिश्चित करना होगा। मुख्य प्रबन्धक द्वारा आगार के अधीनस्थ श्रेणीवार बस स्टेण्डों (जहां से निगम वाहनो का संचालन किया जा रहा हो) पर प्रभारी/सहप्रभारी की नियुक्ति की जावेगी। जिसकी सूचना दिनांक 23.06.25 तक निर्माण शाखा, मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।
3. प्रथम चरण में सभी श्रेणी के बस स्टेण्डों (जहां से निगम वाहनो का संचालन किया जा रहा हो) पर निम्नांकित आवश्यक अनिवार्य सुविधाएं यात्रीभार के अनुसार समुचित रूप से उपलब्ध होना संबंधित मुख्य प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा:-

अ. शौचालय की व्यवस्था।

ब. पेयजल की व्यवस्था।

स. यात्री प्रतिकालय की व्यवस्था।

द. यात्रियों के बैठने हेतु कुर्सियों की व्यवस्था।

य. रंगरोगन।

र. पंखों की व्यवस्था।

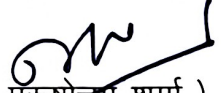
4. मुख्य प्रबन्धक द्वारा अनिवार्य सुविधाएं हेतु प्रस्तावित कार्य दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सीएसआर के माध्यम से/सांसद/विधायक कोष एवं स्थानीय प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से अनुदान प्राप्त कर कार्य संपादित करवाये जाने के प्रभावी प्रयास किये जायेंगे।
5. मुख्य प्रबन्धक द्वारा उनके अधीनस्थ निगम बस स्टेण्डों (जहां से निगम वाहनो का संचालन किया जा रहा हो) पर होने वाली अनिवार्य सुविधाओं (बिन्दू सं 3 के अनुसार) की समुचित व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में एवं बिन्दु संख्या 4 के अनुसार पर्याप्त फण्ड की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में आगारीय कमेटी की अनुशंसा सहित वस्तुस्थिति से जोनल मैनेजर को प्रस्ताव दिनांक 30.06.25 तक प्रेषित करेंगे। जिसमें मदवार अनुमानित लागत का उल्लेख करना होगा।
6. संबंधित जोनल मैनेजर द्वारा आगार से प्राप्त उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुमोदन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव निर्माण शाखा, मुख्यालय को दिनांक 05.07.25 तक प्रेषित किये जायेंगे।

7. जोनल मैनेजर से प्राप्त प्रस्तावों का निर्माण शाखा स्तर से परीक्षण कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य आगार स्तर से संपादित करवाये जाने हेतु स्वीकृति दिनांक 15.07.25 तक जारी की जावेगी।
8. मुख्य प्रबन्धक द्वारा दिनांक 30.08.25 तक प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी होगी।
9. मुख्य प्रबन्धक द्वारा कार्य करवाये जाने से पहले की व कार्य करवाये जाने के बाद की विडियोग्राफी एवं रंगीन फोटो तैयार करवाई जाकर निर्माण शाखा को दिनांक 07.09.25 तक प्रेषित की जावेगी।
10. सभी मुख्य प्रबन्धकों को अपने अधीनस्थ सभी बस स्टैण्डों पर अनिवार्य सुविधाएं (बिन्दू सं 3 के अनुसार) उपलब्ध होने बाबत सलग्न प्रपत्र "स" के अनुसार प्रमाण पत्र निर्माण शाखा, मुख्यालय को दिनांक 07.09.25 तक प्रेषित करना होगा।
11. सभी जोनल मैनेजर द्वारा अधीनस्थ बस स्टैण्डों के निरीक्षण दिनांक 15.09.25 तक सलग्न चैकलिस्ट प्रपत्र "द" के अनुसार किया जावेगा तथा उनके द्वारा मुख्यालय भिजवाये गये प्रस्तावों के अनुसार कार्य संपादित किया जाकर प्रपत्र में निरीक्षण मार्क्स व टिप्पणी निम्न बिन्दुओं के अनुसार की जावेगी:—
 - अ. समस्त जोनल मैनेजर अधीनस्थ बस स्टैण्डों का उक्त चैक लिस्ट अनुसार निरीक्षण कर मार्किंग की जावेगी।
 - ब. बस स्टैण्ड के निरीक्षण पश्चात् उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर मार्किंग की जावेगी, जिसमें बिन्दू संख्या 1 से 32 तक अधिकतम 3 अंक तथा बिन्दू संख्या 33 पर अधिकतम 4 मार्क्स प्रदान किया जायेगा।
 - स. प्रथम निरीक्षण के दौरान मार्किंग ऑब्जेक्टिव एवं आगामी निरीक्षण प्रोग्रेसिव आधार अथवा आगार स्तर पर उक्त कार्य भामाशाह, दानदाता, CSR अथवा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किये गये सुधारात्मक प्रयासों के आधार पर की जायेगी।
 - द. जोनल मैनेजर द्वारा टिप्पणी के कॉलम में डिपो स्तर पर अपेक्षित कार्य का उल्लेख किया जाएगा, डिपो स्तर पर उक्त कार्य भामाशाह, दानदाता, CSR अथवा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करवाए जाने के आधार पर आगामी माह में तदनुसार मार्किंग की जाए।
 - य. जोनल मैनेजर द्वारा निरीक्षण के दौरान पूर्व में मुख्य प्रबन्धक द्वारा उनके माध्यम से मुख्यालय से स्वीकृत करवाये गये कार्य समुचित रूप से संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. जोनल मैनेजर द्वारा तैयार की गई उक्त रिपोर्ट के अनुसार जोन के उत्कृष्ट आगार का चयन किया जायेगा, साथ ही जिन आगारों के द्वारा सीएसआर/भामाशाह के माध्यम से बिन्दु संख्या 3 के कार्य करवाये जाते हैं उन आगारों को भी प्रोत्साहित किया जावेगा।
13. मुख्य प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी को जोनल स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रमाण-पत्र प्रदान किये जावेंगे। साथ ही भामाशाह को भी निगम स्तर पर सम्मानित किया जावेगा।

14. उक्त व्यवस्था निरन्तर जारी रखने हेतु सम्पूर्ण बस स्टैण्ड के समस्त क्षेत्र को कार्यालय में नियुक्त समस्त कार्मिकों को आवंटित कर आगार के अधीनस्थ समस्त बस स्टैण्डों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी दी जावेगी।

यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखते हुये उक्त आदेशों की कठोरता से समयबद्ध पालना अनिवार्य है।

सलग्न:-उपर्युक्तानुसार


(पुरुषोत्तम शर्मा)

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 20.6.25

क्रमांक: एफ./मु/निर्माण/2025/657

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष(.....) महोदय रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त जौनल मैनेजर, रा0रा0प0प0निगम,.....जोन।
5. उप महाप्रबन्धक(आई.टी.), रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण), रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रा0रा0प0प0निगम के0का0 जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य प्रबन्धक, रा0रा0प0प0निगमआगार।



कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Categorywise Bus Stand List

No.	Category A	Category B	Category C	
			Operation	Non Operation
1	CBS Jaipur	Alwar Bus stand	SAGWARA	LOHAWAT
2	CBS Ajmer	Khatushaym Ji Bus stand	ASPUR	DEEG
3	Jodhpur	Karuall Bus stand	SIMALWARA	KAMA
4	Sikar	Kishangrah Bus stand	RATANPUR	NADWAI
5	Udaipur	Jhunjhunu CBS	NEW KISHANGARH	GOLUWALA
6	Bharatpur	Pali	RUPANGARH	PALLU
7	Nayapura Bus Stand kota	Jhalawar	MAKRANA	ATRU
8	Bikaner	Nagaur	BORAWAR	KAILADEVI
9	Matasaynagar + Alwar	Sirohi CBS	RAJSAMAND	SAPOTARA
10	Bhilwara	Tonk CBS	NIWAI	GANGAPUR CITY
11		New Bus Stand Kota	MAHUA NEW	LAWAN
12		Dungarpur CBS	NASIRABAD	ARAI
13		Beawer	DANTA	ROOPWAS
14		Deedwana CBS	KHIVSER	BAYANA
15		Barmer CBS	CHAKSU	LOSAL
16		Chittorgrah	DUDU	DHOD
17		Bundi	PADIHARA	KHANDELA
18		Shri Ganga Nagar	SIROHI ROAD	BANERA
19		Dausa cbs	SHIVGANJ	RAJGARH
20		Dholpur	BILARA	MERTA
21		Baran	SHERGARH	CHHATARGARH
22		Banswara	SRI MADHOPUR	KHAJUWALA
23		Sawaimadhopur	AJITGARH	LUNKARANSEER
24		Phalodi	MANOHERPUR	DUNGERGARH
25			DEVLI	SAHAWA
26			SANDERAO	MANDRELA
27			CHOHTAN	MANDAAR
28			PACHPADRA	FALNA
29			RANIWARA	GAJISINGHPUR
30			JAITARAN	SARDULSAHAR
31			RAIPUR	AHORE
32			BAR	ACHALGARH
33			NIMAJ	DELWARA
34			KHETRI	BARODAMEV
35			NEEM KA THANA	MUBARIKPUR
36			ABU ROAD	KUSHALGARH
37			MOUNT ABU NEW	GADRA ROAD BARMER
38			ANOOPGARH	BANDANWARA
39			JAWAHARNAGAR	DUDU NEW
40			CHURU	BASSI
41			DAUSA OLD	SARMATHURA
42			PRATAPGARH	NOHAR
43			SARDARSHAHAR	MAHUA
44			TIJARA	POKHRAN
45				KHANPUR
46				MANOHERTHANA
47				BAGGAD
48				KANVAS
49				SHAHUPURA
50				PAHADI
51				OLD SIROHI
52				BANDIKUYI
53				BANSUR
54				LADNU
55				NIWAI
56				JADOL
57				KOTRA


(M. L. Jodhi)
 Executive Manager (C/M)
 RSRTC, H.O., Jaipur

(प्रपत्र-ब)

श्रेणीवार मानक सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	बस स्टैण्ड पर दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण	"ए" श्रेणी के बस स्टैण्ड	"बी" श्रेणी के बस स्टैण्ड	"सी" श्रेणी के बस स्टैण्ड
1.	रंग-रोंगन एवं मरम्मत का कार्य	सभी बस स्टैण्डों पर एक ही कलर करवाया जावे, जिससे एकरूपता बनी रही (दो साल में एक बार)	सभी बस स्टैण्डों पर एक ही कलर करवाया जावे, जिससे एकरूपता बनी रही (तीन साल में एक बार)	सभी बस स्टैण्डों पर एक ही कलर करवाया जावे, जिससे एकरूपता बनी रही (पाँच साल में एक बार)
2.	बस स्टैण्ड पर साफ-सफाई की व्यवस्था	प्रतिदिन 5 बार झाड़ू लगवायी जाये। प्रतिदिन 5 बार-बार पोछा लगवाया जावे। (2 बार फिनाईल से 3 बार सादा पानी से) सप्ताह में एक बार प्रत्येक प्लेटफार्म पर नालियों में डीडीटी का छिडकाव	प्रतिदिन 3 बार झाड़ू लगवायी जाये। प्रतिदिन 3 बार-बार पोछा लगवाया जावे। (1 बार फिनाईल से 2 बार सादा पानी से) सप्ताह में एक बार प्रत्येक प्लेटफार्म पर नालियों में डीडीटी का छिडकाव	प्रतिदिन 2 बार झाड़ू व पोछा लगवाये जाये। (1 बार फिनाईल से 1 बार सादा पानी से) प्लेटफार्म/बुकिंग के सामने सफाई करेंगे। सप्ताह में एक बार प्रत्येक प्लेटफार्म पर नालियों में डीडीटी का छिडकाव
3	शौचालय/मूत्रालय की साफ-सफाई की व्यवस्था करना	प्रतिदिन 5 बार धुलाई। प्रतिदिन फिनाईल से सफाई (कपूर की गोली डली रहे) दो सुलभ कॉम्पलेक्स उच्च क्वालिटी के होने चाहिए	प्रतिदिन 3 बार धुलाई। प्रतिदिन फिनाईल से/डी. डी.टी. भी डाले। एक सुलभ कॉम्पलेक्स होना चाहिए	प्रतिदिन 2 बार धुलाई। साधारण शौचालय/मूत्रालय की प्रतिदिन फिनाईल आदि से सफाई
4	बस स्टैण्डों पर कुर्सियों की व्यवस्था	स्थान उपलब्धता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म की कुर्सियाँ लगवाना। कुर्सियों को प्रत्येक 5 वर्ष में बदलना	स्थान उपलब्धता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म की कुर्सियाँ लगवाना। कुर्सियों को प्रत्येक 7 वर्ष में बदलना	स्थान उपलब्धता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म की बैंच लगवाना। कुर्सियों को प्रत्येक 10 वर्ष में बदलना
5	बस स्टैण्ड पर पीने के पानी की व्यवस्था	वाटर कूलर स्वच्छ जल की व्यवस्था। पानी की टंकियों की सफाई 1 महिने में एक बार कराई जावे	वाटर कूलर स्वच्छ जल की व्यवस्था। पानी की टंकियों की सफाई 1 महिने में एक बार कराई जावे	प्याऊ, स्वच्छ जल की व्यवस्था। पानी की टंकियों की सफाई 1 महिने में एक बार कराई जावे
6	हवा के लिए पर्याप्त पंखे/बिजली/रोशनी की व्यवस्था	पंखे, ट्यूब लाईट(LED),	पंखे, ट्यूब लाईट(LED),	पंखे, ट्यूब लाईट(LED),
7	प्रतिक्षालय की व्यवस्था	वोल्वों, डीलक्स एवं द्रुतगामी वाहनों के यात्रियों के लिए ऐसी प्रतिक्षालय का निर्माण किया जाना तथा उनका उचित रख-रखाव किया जावे।	नॉन ऐसी प्रतिक्षालय का निर्माण किया जाना	नॉन ऐसी प्रतिक्षालय का निर्माण किया जाना
8	पूछताछ सेवा	बस स्टैण्ड पर	बस स्टैण्ड पर	बस स्टैण्ड पर


 Executive Manager (ChM)
 RSRTC, H.O., Jaipur

	का संचालन करवाया जाना	24X7X365 के आधार पर पूछताछ सेवा का संचालन करवाया जाना तथा वाहन संचालन के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देना।	16X7X365 के आधार पर पूछताछ सेवा का संचालन करवाया जाना तथा वाहन संचालन के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देना।	8X7X365 के आधार पर पूछताछ सेवा का संचालन करवाया जाना तथा वाहन संचालन के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देना।
9	बस स्टैण्ड पर निःशक्तजन हेतु प्रवेश की व्यवस्था करना	बस स्टैण्ड पर निःशक्तजन के लिए प्रवेश करने हेतु रैम्प का निर्माण करवाया जाना एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था	बस स्टैण्ड पर निःशक्तजन के लिए प्रवेश करने हेतु रैम्प का निर्माण करवाया जाना एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था	बस स्टैण्ड पर निःशक्तजन के लिए प्रवेश करने हेतु रैम्प का निर्माण करवाया जाना
10	वात्सयल्य कक्ष	हाँ	हाँ	हाँ
11	पुलिस चौकी	हाँ	नहीं	नहीं
12	यात्रियों की सुविधार्थ चार्जिंग पॉइन्ट एवं क्लॉक रूम की व्यवस्था	हाँ	हाँ	हाँ
13	सीसीटीवी कैमरे की सुविधा	हाँ	हाँ	हाँ
14	ट्रेक टाईल्स एवं विभिन्न संकेतक	हाँ	हाँ	हाँ
15	अग्निशमन यंत्र	हाँ	हाँ	हाँ
16	कवर्ड डस्टबिन	हाँ	हाँ	हाँ
17	Bus Bays	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
18	जल निकासी व्यवस्था	हाँ	हाँ	हाँ
19	यात्रियों हेतु पार्किंग सुविधा	हाँ (कवर्ड)	हाँ (कवर्ड)	हाँ (ओपन)
20	बस मूवमेंट एरिया सीसी रोड युक्त	हाँ	हाँ	हाँ
21	वाहनों हेतु पृथक-पृथक आगमन एवं प्रस्थान द्वारा	हाँ	हाँ	हाँ
22	पब्लिक एड्रेस सिस्टम	हाँ	हाँ	हाँ
23	बस स्टैण्ड पर आवश्यक	बस स्टैण्ड प्रभारी (24X7X365)	बस स्टैण्ड प्रभारी (16X7X365)	बस स्टैण्ड प्रभारी - 1 बुकिंग क्लर्क - 1


 (P. L. Joshi)
 Executive Manager (C&A)
 05/07/2023

	स्टाफ	बुकिंग क्लर्क (24X7X365) पूछताछ (24X7X365) सुरक्षा प्रहरी (24X7X365) उक्त कार्यों हेतु आवश्यक स्टाफ स्टैण्ड पर संचालित होने वाली बसों की संख्या व यात्रियों तथा आमजन के सुविधार्थ पृथक- पृथक निर्धारित होगी।	बुकिंग क्लर्क (16X7X365) पूछताछ (16X7X365) सुरक्षा प्रहरी (24X7X365) उक्त कार्यों हेतु आवश्यक स्टाफ स्टैण्ड पर संचालित होने वाली बसों की संख्या व यात्रियों तथा आमजन के सुविधार्थ पृथक- पृथक निर्धारित होगी।	सुरक्षा प्रहरी - 1
24	कूलर	बस स्टैण्ड पर कम से कम 6 कूलर की व्यवस्था करना	बस स्टैण्ड पर कम से कम 3 कूलर की व्यवस्था करना	बस स्टैण्ड पर कम से कम 1 कूलर की व्यवस्था करना
25	विश्रामगृह	हाँ	हाँ	हाँ


 (M. L. Joshi)
 Executive Manager (Civil)
 RSRTC, H.O., Jaipur

प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-स)

आगार का नाम:-

प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 657 दिनांक 20.6.25 की पालना में प्रमाणित किया जाता है किआगार के अधीन सभी बस स्टैण्डों (जहां से निगम वाहनो का संचालन किया जा रहा हो) पर अनिवार्य सुविधाएं "मेरा बस स्टैण्ड मेरी जिम्मेदारी" के तहत उपलब्ध है।

हस्ताक्षर मुख्य प्रबन्धक मय सील


(N. L. Joshi)
Executive Engineer (Civil)
RSRTC

(प्रपत्र-द)

जोनल मैनेजर द्वारा निगम के बस स्टैण्डों के निरीक्षण हेतु निर्धारित चैक लिस्ट :-

क्र.सं.	निरीक्षण बिन्दु	निरीक्षण मार्क्स	टिप्पणी
1.	प्लेटफार्म / Bus Bays की स्थिति		
2.	बस स्टैण्ड की चारदीवारी		
3.	बस स्टैण्ड पर सुरक्षा प्रहरी का पदस्थापन		
4.	बस स्टैण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र में सीसीटीवी		
5.	बस स्टैण्ड पर पृथक-पृथक महिला एवं पुरुष शौचालय की स्थिति तथा उनकी सफाई व्यवस्था		
6.	सुव्यवस्थित महिला वात्सल्य कक्ष		
7.	समस्त शौचालयों में पानी की उपलब्धता		
8.	यात्रियों हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था		
9.	यात्री सुविधार्थ मोबाईल / लेपटॉप चार्जिंग पॉइन्ट		
10.	यात्री सुविधार्थ क्लॉक रूम की व्यवस्था		
11.	बस स्टैण्ड पर बुकिंग विंडो की स्थिति		
12.	पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ		
13.	विश्राम करने वाली बसों हेतु बस पार्किंग व्यवस्था		
14.	बस स्टैण्ड पर जल निकासी व्यवस्था (Drainage system)		
15.	बस स्टैण्ड पर फर्श एवं शैड की स्थिति		
16.	दिव्यांगजन हेतु व्हीलचेयर की व्यवस्था		
17.	दिव्यांगजन हेतु पृथक टॉयलेट		
18.	दिव्यांगजन हेतु रैम्प की व्यवस्था		
19.	नेत्रहीन यात्रियों हेतु टेक टाईल्स एवं विभिन्न संकेतक		
20.	विद्युत वायर सुव्यवस्थितिकरण		
21.	बस स्टैण्ड पर कवर्ड डस्टबिन की व्यवस्था		
22.	बस स्टैण्ड पर आवश्यक समस्त संकेतको का अंकन		
23.	बस स्टैण्ड पर उद्घोषणा सिस्टम एवं पूछताछ केन्द्र		
24.	बस स्टैण्ड पर यात्री प्रतिकालयों की उपलब्धता एवं उसमें उपलब्ध सुविधाएँ		
25.	बस स्टैण्ड परिसर/भवन/शेड का रंगपेन्ट एवं मरम्मत की आवश्यकता		
26.	बस स्टैण्ड पर पखें आदि की सुविधा		
27.	बस स्टैण्ड पर सफाई की क्या व्यवस्था है ? पारी-कितने व्यक्ति लगे हुये हैं		
28.	बस स्टैण्ड पर लाईट की समूचित व्यवस्था		
29.	बस स्टैण्ड पर आवंटित स्टॉल/दुकानों की नियमित बिड प्रक्रिया की पालना		
30.	बस स्टैण्ड पर अग्निशमन यंत्रों की स्थिति		
31.	बस स्टैण्ड पर अनावश्यक/अनाधिकृत पोस्टर की स्थिति		
32.	प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधार्थ पर्याप्त कुर्सिया		
33.	अन्य सुविधा:- अ. बस स्टैण्ड पर विज्ञापन/ब्रांडिंग की स्थिति ब. बसों की साफ सफाई तथा संचालन की स्थिति		


(M. L. Joshi)
 Executive Manager (Civil)
 RSTC, ...